न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

दाखिल खारिज वाद सं0–16/2018

कविता प्रसाद बनाम राज्य

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
01/02/23	अपीलार्थी कविता प्रसाद, पति–श्री पिन्टु प्रसाद, निवासी–जोरी, पो0–जोरी, थाना–वशिष्ट नगर जोरी, जिला–चतरा द्वारा अंचल अधिकारी, चतरा के दाखिल खारिज वाद संख्या–47/2015–16 में दिनांक–23.05.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकार को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षकार के द्वारा लिखित कथन समर्पित है। **अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि–**" यह है कि यह वर्तमान अपील वाद अचंल अधिकारी, चतरा के म्यूटेशन वाद संख्या–47/2015–16 में दिनांक–23.05.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। यह है कि मौजा–नगवां, खाता संख्या–03, प्लॉट संख्या–161, रकवा–0.04 डी0 भूमि निबंधित सेल डीड संख्या–5351/2013 के माध्यम से अपीलार्थी का खरीदगी भूमि है। खरीदगी भूमि का दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी, चतरा के समक्ष दिनांक–09.04.2015 को आवेदन समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, चतरा द्वार हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। आम इस्तेहार निर्गत किया गया। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। किसी के द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं किया गया। फिर भी आश्चर्यजनक बात है कि अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा बिना सोचे समझे अचानक से दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या–4862/2015 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–25.07.2016 को आदेश पारित किया गया तथा आवेदक	

1 Misc

को उचित राजस्व पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने हेतु लिबर्टि के साथ आवेदन वापस लेने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद यह अपील वाद इस न्यायालय में दायर किया जा रहा है।" अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा खाता संख्या–03, प्लॉट संख्या–161, रकवा–0.04 एकड़ भूमि जो निबंधित सेल डीड संख्या–5351/वर्ष 2013 के माध्यम से प्राप्त है, का दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, चतरा को आदेश देने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा इस वाद में न ही उपस्थिति दर्ज (लम्बे समय से अनुपस्थित) की जा रही है और न ही रूचि ली जा रही है। अतः सुनवाई के साथ–साथ वाद/अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, चतरा को भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

01/02/23
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

01/02/23
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.02 01:17:20 -07:00
Location: 2409:40e4:1056:4265:8caa:c00f:a89d:a4b9